

EKAM LEASING AND FINANCE CO. LIMITED

REGD OFFICE: No. 11, Rani Jhansi Road. (Motia Khan), M M Road, New Delhi - 110055 Tel No : 011-23528015 Fax No. : 011-23528015
E-mail : ekam.leasing1@gmail.com, info@ekamleasing.com, Website : www.ekamleasing.com
CIN No.: L74899DL1993PLC055697

To,
Listing Department
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Date: 17/08/2022

BSE Scrip Code No.: 530581

Sub: Submission of Newspaper Clipping for the purpose of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2022

Dear Sir/Madam,


Please find enclosed herewith Newspaper Clipping of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2022 published in the "THE FINANCIAL EXPRESS"(English Edition) and "HARIBHOOMI" (Hindi Edition) Newspaper dated 17th August, 2022 in accordance with regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

This is for your information and records.

Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking You,

For EKAM LEASING AND FINANCE CO.LIMITED



RAKESH JAIN
MANAGING DIRECTOR
DIN: 00061737

EKAM LEASING AND FINANCE CO. LTD.
CIN: L74899DL1993PLC055697, Email ID: ekam.leasing1@gmail.com
Regd. Off.: 11, Rani Jhansi Road, Motia Khan, M.M. Road, New Delhi-110 055

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER ENDED ON 30th June 2022

S. No.	Particulars	(Rs. In Lacs)			
		Consolidated			
		Quarter ended	Year Ended		
		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022
		(Un-audited)	(Audited)	(Un-audited)	(Audited)
1.	Total income from operations	15.72	14.08	13.73	57.31
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	10.67	8.63	9.07	34.64
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items) items and/or item Extraordinary items)/Profit or loss of JV	10.67	8.63	9.07	34.64
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items)	9.34	2.01	8.16	25.41
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	9.34	2.01	8.16	25.41
6.	Equity Share Capital	300.00	300.00	300.00	300.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	544.29	-	544.29
8.	Earnings Per Share (Face Value Rs.5/-each) (for continuing operations)-	0.16	0.03	0.14	0.42
	Diluted:	0.16	0.03	0.14	0.42

Key numbers of Standalone Financials Results:

S. No.	Particulars	Standalone			
		Quarter ended	Year Ended		
		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022
		(Un-audited)	(Audited)	(Un-audited)	(Audited)
1.	Total income from operations	15.72	14.08	13.73	57.31
2.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items) items and/or item Extraordinary items)/Profit or loss of JV	5.05	4.01	2.82	13.34
3.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items)	3.72	2.97	1.91	9.69

Notes:

- The above results are an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter ended on 30th June 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and consolidated Unaudited Financial Results is available on the Stock Exchanges website i.e. (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.ekamleasing.com).
- Previous Years/ Quarterly figures have been regrouped/rearranged, wherever necessary.
- The results for the quarter ended on 30th June 2022 are in Compliance with Indian Accounting Standards (IND-AS) as notified by the Ministry of Corporate Affairs.
- The above result was reviewed by the Audit Committee and were approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 14th August, 2022.

On Behalf of the Board of Directors

EKAM LEASING AND FINANCE CO. LIMITED

Sd/-

RAKESH JAIN

Managing Director

DIN: 00061737

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitization And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorized Officer of IFL Home Finance Ltd. (IFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. (The detail of the Borrower(s), amount due as on the date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:-

Name of the Borrower(s)/ Guarantor (s)	Demand Notice Date & Amount	Description of secured asset (immovable property)
Mr. Vijay Kumar Tyagi Mrs. Vishesh Tyagi (Prospect No 756183)	10-Aug-2022 Rs.17,57,633.00/- (Rupees Seventeen Lakh Fifty Seven Thousand Six Hundred Thirty Three Only)	All that piece and parcel of the property being: Residence No.-1278 on Ground Floor, Super Built Up Area Ad measuring 840 Sq.Ft., Pinewood, Sector 2, Pinewood Enclave Wave City, Nh-24, Ghaziabad, Ghaziabad, 20102, National Capital Region, India.

If the said Borrowers fail to make payment to IFL HFL as aforesaid, IFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, jointly or severally, at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For further details please contact to Authorized Officer at IFL Home Finance, India Infoline Housing Finance Ltd., Plot No.30/30C, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar/Corporate Office: IFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-V, Gurgaon, Haryana.

Place: Delhi, Date: 17-08-2022 Sd/- Authorised Officer, For IFL Home Finance Ltd



AUCTION OF STATE GOVERNMENT SECURITIES

The following State Governments have offered to sell stock by way of auction, for an aggregate amount of ₹4,000 crore (Face Value).

Sr. No.	State	Amount to be raised (₹cr)	Additional borrowing (Green shoe option) (₹cr)	Tenure (in years)	Type of auction
1.	Andhra Pradesh	500	-	13	Yield based
2.	Bihar	1,000	-	16	Yield based
3.	Tamil Nadu	2,000	-	10	Yield based
	Total	4,000			

The auction will be conducted on Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) in multiple-price format on **August 18, 2022 (Thursday)**. Individual investors can also place bids as per the non-competitive scheme through the Retail Direct portal (<https://rbiretaildirect.org.in>). For further details please refer to RBI press release dated August 12, 2022 (Friday) on RBI website www.rbi.org.in.

"Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money"

IFL GOLD LOAN (A UNIT OF IFL HOUSING FINANCE LTD)

Regd off:- D-16 First Floor, Prashant Vihar, Delhi-110085

CIN: L18504DL12045ELC285284

The borrowers in specific and the public in general are hereby notified that the public auction of gold ornaments pledged in the below accounts is proposed to be conducted at regd office on 30-08-2022 from 02.00pm onwards on which customers failed to make payment.

Adarsh Nagar Branch Loan No-LNASN01421-220006910, LNASN01421-220009044, LNASN01421-220009158, LNASN01421-220010713, LNASN01421-220005960, ASN140000000068, ASN1400000000077, ASN1400000000045, ASN1400000000039, ASN280000000127, ASN1400000000026. **Adhyapak Nagar Branch** Loan No-LNADN01421-220008294, LNADN01421-220010591, LNADN01421-220011854, LNADN01421-220005627, LNADN01421-220011173, LNADN01421-220007027, LNADN01421-220004798. **Delhi Head office** Loan No- LNDEL03021-220007693, LNTKD01421-220002732. **Dils had Garden Branch** Loan No-LNDSG01421-220006677, LNDSG01421-220007898, LNDSG01421-220010387, LNDSG01421-220011344, LNDSG01421-220011394, LNDSG01521-220004258, LNDSG01521-220004264, LNDSG02621-220010987, LNDSG01421-220009605, LNDSG01421-220010433. **Karaw at Nagar Branch** Loan No- LNKWNO1421-220003410, LNKWNO1421-220003450, LNKWNO1421-220003972, LNKWNO1421-220009844, LNKWNO1421-220010587, LNKWNO1421-220010735, LNKWNO1421-220010747, LNKWNO1421-220010787, LNKWNO1421-220010897, LNKWNO1421-220011025, LNKWNO1421-220011159, LNKWNO1421-220011199, LNKWNO1421-220011217, LNKWNO1421-220011387, LNKWNO1421-220011475, LNKWNO1721-220003455, LNKWNO1421-220003970, LNKWNO1421-220004590, LNKWNO1421-220009617, LNKWNO1921-220004883, LNKWNO3321-220011954, LNKWNO1421-220009304. **Najafgarh Branch** Loan No- LNNJUF01421-220011787, LNNJUF01421-220007757, LNNJUF02821-220010669. **Kartar Nagar Branch** Loan No- LNKNTN01421-220008519, LNKNTN01421-220008982, LNKNTN01421-220010574, LNKNTN01421-220010927, LNKNTN02821-220011144. **Narela Branch** Loan No- LNNRLO1421-220002731, LNNRLO1421-220002742, LNNRLO1421-220005764, LNNRLO1421-220008299, LNNRLO1421-220008909, LNNRLO1421-220008980, LNNRLO1421-220010492, LNNRLO1421-220010497, LNNRLO1421-220010794, LNNRLO1421-220010796, LNNRLO1421-220010912, LNNRLO1421-220010930, LNNRLO1421-220011129, LNNRLO1421-220011317, LNNRLO1421-220011829, LNNRLO1421-220005429, LNNRLO1721-220003193, LNNRLO2821-220007747, LNNRLO2821-220009219, LNNRLO2821-220010962, LNNRLO1421-220008440, LNNRLO2821-220007909, LNNRLO1421-220008021, LNNRLO1721-220003368, LNNRLO1421-220008264, LNNRLO2821-220007922. **Khajuri Khas Branch** Loan No- LNKJK02821-220007923, LNKJK02821-220007925, LNKJK03321-220012063. **Ngaoji Branch** Loan No- LNNGIO1421-220006032. **Suzbi Mandoli Branch** Loan No- LNSBMO1421-220010638, LNSBMO2821-220010811. **LNSMNO1421-220011662** **Mayur Vihar Branch** Loan No- LNMV101421-220011076, LNMV102021-220011278, LNMV101421-220009738, LNMV101421-220011332. **Uttam Nagar Branch** Loan No- LNUJTN01421-220004929, LNUJTN01421-220005761, LNUJTN01421-220005830, LNUJTN01421-220006132, LNUJTN01421-220007755, LNUJTN01421-220010825, LNUJTN01421-220011004, LNUJTN01421-220003992. **LNUJTN02821-220009316**, **UTN14000004207**, **LNUJTN01421-220011808**. **Khanderlok Branch** Loan No: LKNKLO0201-220009394, LKNKLO2021-220011207. **Chanderlok Branch** Loan No: CDL14000000118. **North Ghonda Branch** Loan No: LNNGD01421-220009699, LNNGD01421-220011331, LNNGD01421-220008351, LNNGD01421-220011211, LNNGD01421-220011316. **Shyam Nagar Branch** Loan No: LNSMNO1421-220011347, LNSMNO1421-220011819, LNSMNO2821-220007218.

If the auction does not get completed on the same day due to any reason, the same will be conducted on 31-08-22 at regd office. Interested bidders should submit Rs.100000/- as EMD, also bidder has to deposit the EMD latest by 29-08-2022 through online mode. The bidders should carry valid ID Card/Pan card/ GST Certificate. For more details please contact 8595010101

Sd/- Authorised officer

For IFL Housing Finance Ltd

FORM INC-26

(Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Before the Central Government Regional Director, Northern Region

In the matter of sub-section 4 of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule 5 of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND In the matter of ISHAAN HI-TECH PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED having its registered office at G-56, PUSHKAR ENCLAVE PASCHIM VIHAR NEW DELHI-110063

.....Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on 01/08/2022 to enable the company to change its Registered Office from National Capital Territory of Delhi to State of Jharkhand.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Registered Office of the company may deliver either on MCA 21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 WING, 2ND FLOOR, PARYAVARAN, BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI-110003 within 14 days from the date of publication of this notice with a copy of the application company at its registered office at the address mention below:

G-56, PUSHKAR ENCLAVE PASCHIM VIHAR NEW DELHI-110063 For and behalf of Board of Directors ISHAAN HI-TECH PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED

Sd/- [CHANDAN SRIVASTAVA] Director

Place: Delhi DIN: 02618223

FORM NCLT 3A, Advertisement Detailing Petition (Under Rule 35 of NCLT Rules 2016)

NOTICE OF PETITION

In the matter of **M/s Prepladder Pvt Ltd** having registered office at 7th Floor, Plot No. 16, Sector 22, IT Park, Panchkula, Haryana Panchkula, HR 134109 IN (CIN UB09034HR2017PTC068263) a company petition under Section 131 of Companies Act 2013 for Revision of Financial Statements for the year 2017-18 & 2018-19 was presented on 21st day of July 2021, and the said petition is fixed for hearing on 13th day of October 2022. Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitioner advocate i.e. Sh. Arun Kumar, Advocate and CA Ajay Kumar Jain, Chartered Accountant, at SCO 80-81, 4th Floor, Sec 17-C Chandigarh-160017, so as to reach the petitioner's advocate not later than two days before seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Sd/-
Arun Kumar (Advocate for Petitioner)
Date: 12.08.2022
SCO 80-81, 4th Floor, Sector 17-C, Chandigarh-160017

JATALIA GLOBAL VENTURES LIMITED

Regd. Office: 500, 5th Floor, ITL Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi - 110034

Email Id: info@jatalia.in, CIN: L74110DL1987PLC350280

Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Quarter ended 30th June 2022 (Amount in lakh)

PARTICULARS	Quarter Ended		Year Ended	
	30.06.2022	30.06.2021	31.03.2022	31.03.2022
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1 Total income from operations	5.05	0	4.39	11.92
2 Net profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(53.93)	(344.94)	(496.66)	(876.54)
3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(53.93)	(344.94)	(496.66)	(876.54)
4 Net profit/(loss) for the period after Tax (After Exceptional and/or Extra ordinary items)	(53.93)	(344.94)	(509.65)	(889.53)
5 Paid-up Equity Share Capital	1,497.56	1,497.56	1,497.56	1,497.56
6 Reserve excluding Revaluation Reserve	156.94	736.32	210.87	210.87
7 Earning Per Share (Of Rs10/- each share) (for continuing and discontinued operation)	(0.04)	(0.23)	(0.34)	(0.59)
(a)Basic	(0.04)	(0.23)	(0.34)	(0.59)
(b)Diluted	(0.04)	(0.23)	(0.34)	(0.59)

Note: The Above is an extract of the detailed format of Quarterly and half year financial results filed with the Stock Exchange under Reg 33 of SEBI (LODR), 2015. The full formats are available on Stock Exchange websites and on Company's website.

By Order of the Board JATALIA GLOBAL VENTURES LTD

Sd/- ANIL KUMAR JAIN

Director

DIN: 00014601

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

ATS INFRABUILD PRIVATE LIMITED

Regd. Off. : 711/92, Deepali, Nehru Place, New Delhi-110019

CIN: U45400DL2007PTC168922; Phone No.: 0120-7111550; Fax No.: 0120-7111550

Email Id.: compliances@atsgreens.com; Website: www.atsgreens.com

ANNEXURE I

Format for publishing financial results in newspapers

[Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

(Amounts in INR Lacs except per share data and ratios)

S. No.	Particulars	For the	For the	For the
		Quarter ended	Quarter ended	Year ended
		30.06.2022	31.03.2022	31.03.2022
		Unaudited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	874.81	1,230.26	6,590.82
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	(9.67)	9.93	93.67
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	(9.67)	9.93	93.67
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	(0.95)	0.45	31.24
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(0.95)	(3.54)	27.25
6	Paid-up Equity Share Capital	1.00	1.00	1.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(966.68)	(965.73)	(965.73)
8	Net worth	(965.68)	(964.73)	(964.73)
9	Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt	15,561.00	14,789.52	14,789.52
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
11	Debt Equity Ratio*	(16.11)	(15.33)	(15.33)
12	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -	(9.53)	4.55	312.43
13	Capital Redemption Reserve	(9.53)	4.55	312.43
14	Debt Service Coverage Ratio*	(0.0048)	0.00077	0.01
15	Debt Service Coverage Ratio*	(0.0048)	0.00077	0.01
16	Interest Service Coverage Ratio*	(0.03)	0.03	0.07

Note:

a) The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/annual financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.

b) For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s).

c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

d) * - The pertinent items need to be disclosed if the said disclosure is required as per Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

e) Previous periods figures have been reclassified wherever considered necessary.

For and on behalf of Board of Directors of

ATS Infrabuild Private Limited

Sd/- Getam Anand

Director

DIN- 00120610

Sd/- Lovely Pathak

Director

DIN- 06401442

Place: Noida

Date: 16.08.2022

INDIAN OVERSEAS BANK

(GURGAON BRANCH) Yadav Bhavan, Old Railway Road, Gurgaon Haryana-122001

Email: 0403retailmart@iob.in

Under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI Act) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (Rules)

1. Whereas the undersigned being the Authorized Officer of Indian Overseas Bank under and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3, issued Demand Notice under Section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrowers/mortgagors/guarantors listed hereunder (hereinafter referred to as the "said Borrowers"), to repay the amounts mentioned in the Notice, within 60 days from the date of receipt of Notice, as per details given below.

2. The said Notices have not been duly acknowledged by the borrowers/mortgagors/guarantors. Hence the Bank by way of abundant caution is affecting this publication of the demand notice. The undersigned has, therefore, caused these Notices to be pasted on the premises of the last known addresses of the said Borrow

घर में फ्रेंडली एंट्री से जानकार का वारदात में शामिल होने का शक

वेलकम में सास-बहू की घर में घुसकर चाकुओं से निर्मम हत्या

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सुभाष पार्क इलाके में मंगलवार को 75 वर्षीय एक महिला और उसकी बहू की उनके घर में ही हत्या कर दी गयी। मृतक महिलाओं के नाम विमला देवी और डोली राय (45) बताये गये हैं। परिवार का पूजा सामग्री का व्यवसाय है। पुलिस के अनुसार मृतकों के शरीर पर चाकुओं के निशान हैं। वारदात के बाद फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम ने मी नौका-ए-वारदात का मुआयना कर साक्ष्य एकत्रित किये हैं। पुलिस परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस ने शुरुआती तपतीश में लूटपाट के चलते हत्या की आशंका जताई है।

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी संजय कुमार सैन ने बताया कि डोली के बेटे सार्थक और शशांक दो-तीन दिन के लिए ऋषिकेश और मसूरी घूमने गए थे। वापस आने पर उन्होंने मां और दादी का शव देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। वेलकम थाने में मंगलवार को तड़के चार बजकर 20 मिनट पर सूचना प्राप्त हुई। पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्राउंड फ्लोर के कमरे में खून से लथपथ डोली का शव था जबकि पहली मंजिल के कमरे में बुजुर्ग विमला देवी मृत पड़ी थी। घर का पालतु विदेशी नस्ल का कुत्ता ग्राउंड फ्लोर पर ही एक कमरे में बंद पाया गया। पुलिस आशंका जता रही है कि हत्याकांड में किसी करीबी का हाथ है।

पुलिस कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वह हत्यारों के करीब है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

एक नजर परिवार की पृष्ठभूमि पर

विमला देवी का परिवार गली नंबर-12 सुभाष पार्क, वेलकम में रहता था। इनके परिवार में बहू डोली राय, डोली के दो बेटे शशांक (27) और सार्थक (24) हैं। डोली के पति आलोक राय की कुछ समय पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। पहले परिवार का केमिकल का कारोबार था। लेकिन कुछ सालों पूर्व परिवार ने पूजा सामग्री का काम शुरू किया था। इनकी तिलक बाजार, खारी बावली में

दुकान है। विमला का तीन मंजिला मकान है। ग्राउंड फ्लोर पर डॉली व उसके दोनों बेटे रहते थे जबकि पहली मंजिल पर विमला अकेली रहती थी। दूसरी और तीसरी मंजिल पर पूजा सामग्री के पैक होने का काम होता था। घर में चार से पांच कर्मचारी पैकिंग का काम करते हैं, जबकि एक घरेलू नौकरानी सफाई व बाकी कार्य करने आती है। कई दिन लगातार छुट्टी होने के कारण सार्थक और शशांक ने अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में घूमने का कार्यक्रम बनाया था। 12 अगस्त की रात को दोनों भाई दोस्तों के साथ गए थे।

अलमारी से कैश और जूली मिली गायब
पीड़ित परिवार के एक करीबी ने बताया



पत्नी से अनबन के चलते दामाद ने की सास पर फायरिंग

नई दिल्ली। दक्षिणी पश्चिमी जिले के सागरपुर इलाके में पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे एक शख्स ने गुरुसे में आकर सास पर फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि गोली महिला को न

- दीवार पर लगी गोली आरोपी गिरफ्तार
- हत्या की कोशिश और आर्म एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा

कि रविवार को सार्थक की दिन में अपनी मां से बात हुई थी। दोनों भाई मंगलवार तड़के करीब 3.30 बजे घर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। काफी खटखटाते के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो शशांक ने सार्थक को मैन गेट की दूसरी चाबी लेने के लिए रिश्तेदार के यहां भेजा। करीब 30 मिनट बाद चाबी आई। इसके बाद मैन गेट को खोलकर अंदर दाखिल हुआ गया। अंदर का नजारा देखते ही दोनों भाईयों के होश उड़ गए। मम्मी और दादी के कमरे की अलमारी टूटी हुई थी। उनमें रखा कैश और जूली गायब मिली है। छानबीन के दौरान पुलिस आशंका जता रही है कि रविवार देर रात को ही दोनों महिलाओं की हत्या की गई है।

संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने निकाली तिरंगा पदयात्रा



हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री एवं देश की बात फाउंडेशन के संस्थापक गोपाल राय ने राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू करने को लेकर मंगलवार को संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति द्वारा आयोजित तिरंगा पदयात्रा का नेतृत्व किया। यह तिरंगा पदयात्रा नंद नगरी से लेकर जंतर मंतर तक जानी थी लेकिन पुलिस द्वारा इसे गोकुलपुरी के पास ही रोक दिया गया। राय ने कहा कि देश में बढ़ती बार इस तरह की घटना सामने आई जहां तिरंगा यात्रा को पुलिस द्वारा रोका गया जबकि यह तिरंगा यात्रा रोजगार के मुद्दे को लेकर थी। इस तिरंगा पदयात्रा के दौरान देशभर से 200 से ज्यादा संगठनों के 2000 से अधिक

प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर गोपाल राय ने कहा कि रोजगार के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। राय ने बताया कि देशभर से लोग इस रोजगार आंदोलन में केवल एक ही तमना लेकर शामिल होने के लिए आए हैं की आजादी के 75 साल बाद भी अगर लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो केंद्र में बैठी सरकार को राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने पर तुरंत ही विचार करने की जरूरत है। आज देश में बढ़ती बेरोजगारी दर को देखते हुए देश के तमाम क्षेत्र को बुद्धिजीवीयों के साथ मिलकर हमने राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट का हम केंद्र सरकार के साथ साझा करना चाहते हैं ताकि इसे संसद में कानूनी रूप से पास किया जा सके।

एलजी ने निगम और पालिका परिषद के झंडा कलेक्शन सेंटर में झंडा जमा करने की अपील की

नई दिल्ली। हर घर तिरंगा के तहत 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज से दिल्ली पटी रही। अब इन लाखों झंडों को पूरे राजकीय सभामन के साथ निगमों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि एमसीडी और नई दिल्ली नगर पालिका (एनडीएमसी) ने झंडा संग्रह केंद्र स्थापित किए हैं, उनमें जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दिल्ली ने पूरे शहर को तिरंगे के रंग में रंग कर अपनी देशभक्ति के जज्बे की मिशाल पेश की है। ऐसे में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि तिरंगे का पूरा सम्मान करें और इसे उस सम्मान के साथ निगमों को नियमानुसार जमा करें। इसके लिए आपका एमसीडी व एनडीएमसी द्वारा बनाए गए संग्रह केंद्रों पर जाकर झंडे जमा करने हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि राष्ट्रीय ध्वज को ही भी इतर उद्देश्य ना फेंके, कटे फटे झंडे आदि के निपटान के लिए ही सरकार ने एमसीडी व एनडीएमसी द्वारा झंडा संग्रह केंद्र स्थापित किए हैं। आपसे अनुरोध है कि उनसे संपर्क करें और उनका उपयोग करें। उपराज्यपाल ने यह अपील अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट की है।

खबर संक्षेप

बुराड़ी में लुटेरों का बह रहा है कहर

नई दिल्ली। नॉर्थ जिले का बुराड़ी इलाका लुटेरों और बदमाशों का पनाहगाह बना हुआ है। आये दिन यहां पर किसी न किसी शख्स के साथ लूट व झपटमारों की वारदात सामने आती है। हाल ही में बदमाशों ने हरिभूमि अखबार के विज्ञापन विभाग में कार्यरत राजेंद्र कुमार (51) को निशाना बनाया। बदमाशों जबरन उनसे मोबाइल फोन लूट ले गये। पीड़ित ने इस संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है। राजेंद्र कुमार संत नगर बुराड़ी में रहते हैं। 12 अगस्त को रात करीब साढ़े 12 बजे वह अपने कर्नाट प्लेस ऑफिस से बुराड़ी पहुंचे। इसके बाद वह पैदल की खुशहाल चौक की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद जबरन उनकी जेब से मोबाइल निकालने लगे। विशेष करने पर मोबाइल नीचे गिर गया। इसके बाद बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर मोबाइल उठाया और फरार हो गये।

अवैध शराब रखने के आरोप से व्यक्ति बरी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को हेरोइन और अवैध शराब रखने के आरोप से बरी कर देने हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में बहुत अधिक विरोधाभास है। विशेष न्यायाधीश दीपक वासन ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए आठ अगस्त को संबंधित आदेश पारित किया। उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि पुलिस ने जांच के दौरान तय प्रक्रिया के प्रति जानबूझकर असम्मान दिखाया। अदालत ने रेखांकित किया कि जांच एजेंसी अन्वेषण के किसी दौर में एक भी गवाह से संपर्क नहीं कर सकी और इसके बजाय लापरवाह तरीके से और नियमित जवाब के तौर पर कहा कि जिन लोगों से जांच में शामिल होने के लिए कहा गया, उन्होंने इससे मना दिया जबकि ऐसे किसी भी व्यक्ति और उनके पते आदि का खुलासा नहीं किया गया है। गौरतलब है कि बिदापुर थाने में वर्ष 2016 में आरोपी के खिलाफ दिल्ली आवकारी अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने दावा किया कि था कि आरोपी के पास से अवैध शराब (96 पब्बे) और करीब नौ ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी।

अदालत ने मंत्री सत्येंद्र जैन को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

एजेंसी ►► नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने धनरोधन के एक मामले में गिरफ्तार आप नेता सत्येंद्र जैन को विकृतचित्त व्यक्ति घोषित करने और इस आधार पर उन्हें विधानसभा सदस्य एवं मंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम उचित आदेश पारित करेंगे। याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत के समक्ष देखा गया है कि जैन की याददाश्त खो गई है और इसलिए उन्हें विधानसभा सदस्य नहीं रहने दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में दावा



किया कि जैन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष खुद घोषित किया है कि उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी है और निचली अदालत को भी इसकी जानकारी दी। उन्होंने अदालत से कहा कि ईडी कोई साधारण एजेंसी नहीं है और उसे दिया गया कोई भी बयान अदालत में स्वीकार्य होता है तथा यदि उन्होंने मंत्री होने के नाते निर्देश जारी प्रभावित हो सकती है। वकील रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत के समक्ष जैन की जमानत अर्जी के जवाब में ईडी ने सूचित किया कि आप नेता ने स्वीकार किया है कि गंभीर कोविड के कारण उनकी याददाश्त चली गई थी और याददाश्त खोने की खबर सभी मीडिया स्रोतों द्वारा कवर की गई तथा यह सभी के सामने है।

रेस्तरां में सेवा शुल्क लेने की क्या जरूरत है, दाम बढ़ा सकते हैं : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को रेस्तरां में बाहकों से अतिरिक्त या अलग शुल्क के रूप में सेवा शुल्क वसूलने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके स्थान पर खाद्य उत्पादों के दाम बढ़ाने का तरीका अपनाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह टिप्पणी केंद्र सरकार को तर्फ से दायर एक अपील को सुनवाई के दौरान की। इसके पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने होटलों एवं रेस्तरांओं को बाहकों से सेवा शुल्क लेने पर रोकने वाले केंद्र के निर्देश पर स्थगन दे दिया था। मुख्य न्यायाधीश की अनुवाई वाली पीठ ने कहा कि एक आम आदमी रेस्तरां में वसूल जाने वाले सेवा शुल्क को सरकार की तर्फ से लगाया गया कर ही समझता है। ऐसी स्थिति में अगर होटल एवं रेस्तरां बाहक से अधिक राशि वसूलना चाहते हैं तो वे अपने यहां परोसे जाने वाले खाने-पीने के सामान के दाम बढ़ा सकते हैं। फिर उन्हें बिल में अलग से सेवा शुल्क लेने की जरूरत नहीं रह जाएगी।

स्पाइसजेट विमान के अंदर धूमपान करने पर बाँबी कटारिया के खिलाफ मामला दर्ज


नई दिल्ली। विमानन कंपनी स्पाइसजेट की एक उड़ान के अंदर सिगरेट सुलगाने का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया में प्रभाव रखने वाले बाँबी कटारिया के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्पाइसजेट कंपनी के कानूनी मामलों के प्रबंधक जसबीर सिंह द्वारा 13 अगस्त को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कटारिया के खिलाफ सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि बलवंत कटारिया उन्हें बाँबी कटारिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें और वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें उन्हें जनवरी 2022 में दृढ़ई से दिल्ली आने वाली स्पाइसजेट की उड़ान संख्या एरसी 706 में सिगरेट पीते देखा जा सकता है। कटारिया के इंस्टाग्राम पर 6.3 लाख फॉलोअर हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर, नागरिक उड्डयन कानून 1982 के तहत सौम्यार को मामला दर्ज किया गया और आगे जांच की जा रही है। पिछले हफ्ते, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाँबी बिल्टर बाँबी कटारिया का धूमपान करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इस घटना की जांच के आदेश दिए। यत्रियों को विमान में लाइटर ले जाने और धूमपान करने की अनुमति नहीं है।

27 महीने में घर देने का वादा कर 31 निवेशकों को लगाया था चूना

फ्लैट्स देने के बहाने 10 करोड़ की टगी करने वाला बिल्टर अरेस्ट

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

आर्थिक अपराध शाखा ने फ्लैट्स देने के बहाने 31 निवेशकों से लगभग 10 करोड़ की टगी करने वाले एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम दीपक गुसाई (40) है। वह साहिबाबाद गाजियाबाद का रहने वाला है। इस केस में आरोपी को कोर्ट ने भगोड़ा भी घोषित किया हुआ था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए साल 2012 में सेक्टर 2, बावल, रेवाडी में फ्लैट और शांप को लेकर विज्ञापन दिया था।



निवेशकों ने इसकी बुकिंग बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया। 2014 अप्रैल के बाद इस प्रोजेक्ट का काम बंद हो गया। बिल्टर ने निवेशकों को 27 महीने में प्रॉपर्टी पर कब्जा देने का वादा किया था। लेकिन वह अपना वादा पूरा नहीं कर सका और फरार हो गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लोगों द्वारा निवेश की गई रकम को आरोपी ने दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर लिया था। इस मामले को लेकर हुई शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा ने साल 2018 में मुकदमा दर्ज किया था। लंबे समय से वह इस केस में फरार चल रहा था।

पुलिस से बचने के लिये बदल रहा था ठिकाने
हाल ही में पुलिस को आरोपी के बारे में पता चला। वह लगातार ठिकाने बदल रहा है। कई बार नोटिस भेजने के बाद भी वह जांच में शामिल नहीं हुआ। जिस कारण उसके खिलाफ एलओसी खुलवाई गयी। गैर जानमती वारंट भी कोर्ट ने इसके खिलाफ जारी कर दिया। कुछ दिन पहले पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली कि वह तिलक नगर इलाके में आएगा। पुलिस ने ट्रेप लगाया और उसे एक डैटल क्लॉनिक के पास से दबोच लिया। आरोपी ने कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। आरोपी की कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ चॉटिंग से सम्बंधित तीन अन्य मुकदमों भी दर्ज मिले हैं। बहरहाल पुलिस इसके सहयोगियों की तलाश में लगी है।

पीजी गर्ल्स छेड़छाड़ मामला

डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने मंगलवार को एक सुरक्षा गाइडलाइन में रहने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने और आरोपी को गिरफ्तार करने को कहा है। वहीं डीसीडब्ल्यू ने पीजी के रजिस्ट्रेशन का ब्योरा मांगने के साथ दिल्ली पुलिस को 18 अगस्त को 4.00 बजे तक मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक पीजी कलेज के साथ छेड़छाड़ के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट की गई एक वीडियो तिलक पर स्वतः संज्ञान लिया है। आरोप है कि गोल्डस विला पीजी कलेज बाग के सुरक्षा गाइड ने पीजी में रहने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की। इस मामले में एक वीडियो भी ट्वीट किया गया है जिसमें एक आदमी को एक महिला को पकड़कर उससे छेड़छाड़ करते हुए देखा जा सकता है, जो उससे छुड़ा कर भागने की कोशिश कर रही है। यह भी बताया गया है कि जब दूसरी शिकायत पीजी के मालिक से की गई तो उसने कोई कार्रवाई नहीं की।

सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड		
CIN: L65999DL1985PLC019846		
पंजी. कार्यालय : ई 253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट, 25, आई.पी. एक्सटेंशन, पटवर्धन, नई दिल्ली-110092, Phone: +91-11-2271509		
Email: info@sidgeamagement.in Website: www.sidgeamagement.in		
सार्वजनिक सूचना-38वीं वार्षिक सामान्य बैठक		
कम्पनी के सदस्यों को 38वीं वार्षिक बैठक, 15 सितंबर 2022 को सुबह 11.00 बजे (आरंभिक) 283, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट, 25, आई.पी. एक्सटेंशन, पटवर्धन, नई दिल्ली-110092 में, एकमात्र आमंत्रित करके की सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित की जाती है।	दिनांक 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।
विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।
विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।
विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।
विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।
विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।
विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।
विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।
विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।
विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।
विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।
विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।
विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022 को सूचना में निर्दिष्ट विनियमों के तहत आमंत्रित करने के लिए सूचना में उल्लिखित मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई है।	विशेष रूप से 2021-2022 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार एकीकृत की सूचना में उल्लिखित वेबक के भाग के रूप में उन सदस्यों को सूचना दी गई है कि उन्हें 11 अगस्त 2022	